कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

संख्या /जि0आ0अ0/व्यवस्थापन/2018-19/हमीरपुर/दिनांक: फरवरी , 2018

शराब की फुटकर दुकानों के ई-लाटरी एवं भांग दुकानों की नीलामी हेतु महत्वपूर्ण सूचना।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 के लिए देशी शराब की 171, विदेशी मदिरा की 51 व बियर की 34 फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से NIC हमीरपुर के सहयोग से कराया जायेगा। ई-लाटरी से व्यवस्थित होने वाली समस्त दुकानों का विवरण आबकारी विभाग की आनलाइन ई-लाटरी पोर्टल http://upexciseelottery.gov.in व जनपद की बेबसाइट http://hamirpur.nic.in पर देखा जा सकता है। किसी दुकान के लिए आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं के नाम से एक तथा सहआवेदक के साथ अधिकतम एक कुल गिलाकर अधिक से अधिक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेगें। किसी आवेदक के पक्ष में (स्वयं अथवा सहआवेदक के साथ) एक जनपद में सभी प्रकार (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं मॉडल शॉप्स) की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नही की जायेगी। किसी दुकान हेतु एकल आवेदन की स्थिति में नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर उसका व्यवस्थापन सम्बन्धित आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा।

1- प्रोसेसिंग शुल्क, जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि- दुकानों हेतु प्रोसेसिंग शुल्क रू0 15000/- तथा उस पर नियमानुसार देय जी0एस0टी0 व धरोहर धनराशि ऑन लाइन जमा करना अनिवार्य होगा। जिन आवेदको द्वारा उक्त धनराशि आनलाइन जमा नही की जायेगी तथा निर्धारित प्रारूप मे शपथ पत्र, पैन कार्ड, गतवर्ष का आयकर रिटर्न व हैसियत प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न नही की जायेगी, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे। प्रोसेसिंग शुल्क, जी0एस0टी0 व धरोहर धनराशि आनलाइन जमा किया जायेगा। चयनित आवेदको द्वारा जमा धरोहर धनराशि उनके द्वारा देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस में समायोजित कर ली जायेगी और असफल आवेदको के धरोहर धनराशि की वापसी इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से की जायेगी।

2- हैसियत प्रमाण पत्र- देशी शराब की फुटकर दुकानों के लिए हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि सम्बन्धित दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस तथा लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा विदेशी मदिरा व बियर की दुकानों के लिए सम्बन्धित दुकान की लाइसेंस फीस के समतुल्य होना आवश्यक है। यदि किसी अनुज्ञापी द्वारा अपना हैसियत प्रमाण पत्र दुकान आवंटन के फलस्वरूप किसी जनपद में मूलरूप में जमा किया गया है तथा वह आवश्यक शोधन क्षमता से शेष धनराशि के समतुल्य क्षमता का प्रयोग किसी अन्य जनपद में करना चाहता है तो उसके द्वारा सम्बन्धित जनपद (जहॉ मूलप्रति जमा हो) के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें प्रयुक्त शोधन क्षमता तथा अवशेष शोधन क्षमता का विवरण दिया गया है प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसे प्रमाण पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति अन्य जनपद में मूलप्रति के स्थान पर मान्य होगी।

3- चरित्र प्रमाण पत्र- अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला जहॉ का वह निवासी है के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लाइसेंस जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठ भूमि या आपराधिक इतिहास नही है।

4- बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि का जमा करना- लाइसेंस के रूप में चयनित होने पर देशी शराब की दशा में बे0ला0फी0 तथा विदेशी मदिरा व बियर की दशा में लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवसो के भीतर जमा करेगा। प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के 10 कार्य दिवस के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा करेगा। डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम को बढावा देने हेतु आबकारी राजस्व को आनलाइन जमा करने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। इसके लिए मदिरा की थोक/फुटकर बिकी के सभी स्थानों पर पेमेन्ट की व्यवस्था कैश के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट प्लेटफार्म यथा डेबिट कार्ड, केडिट कार्ड, भीम, आर0टी0जी0एस0, एन0ई0एफ0टी0 एवं अन्य इसी प्रकार के माध्यमों से की जायेगी। आबकारी राजस्व से सम्बन्धित समस्त धनराशियों का भुगतान कोषागार में इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया जायेगा।

5– ई–लाटरी ऑन लाइन भरने की प्रकिया– ई–लाटरी प्रणाली से सम्बन्धित पोर्टल पर किसी भी आवेदक को सर्वप्रथम अपने आपको पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण के समय सर्वप्रथम उसको अपने आधार नं0 एवं उसके नीचे दिया गया कैप्चा भरना होगा। यह कार्य करते ही उसके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसे उसको यथा स्थान भरना आवश्यक होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जायेगा जिसमें आवेदक को पैन नम्बर सहित कतिपय सूचनाएं भरनी होगी। आवेदक के सफल पंजीकरण करने पर उसको एक रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड उसके मो0न0/ई–मेल पर प्राप्त होगी। रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड के आधार पर पंजीकृत आवेदक पोर्टल मे प्रवेश कर सकते है। प्रवेश करते समय आवेदक को अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहा जायेगा। आवेदक को नया पासवर्ड जनरेट करना होगा तथा भविष्य में पंजीकरण संख्या एवं नये पासवर्ड के आधार पर ही पोर्टल मे प्रवेश सम्भव होगा।

6– पोर्टल में प्रवेश करके आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी जनपद की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर एवं माडल शॉप्स के सम्बन्ध में दुकान का नाम एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

7– देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर व माडल शॉप्स के किसी भी फुटकर दुकान के लिए आवेदन के लिए प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 की धनराशि अर्हताओं आदि का विवरण भी आवेदक को पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। अतः आवेदन करने से पूर्ण आवेदक का पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होना आवश्यक है।

8– आवेदन के समय आवेदक को अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (JPG व JPEG फारमेट में 10KB से 100KB तक), हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी एवं शपथ पत्र की स्कैन कापी कम्प्यूटर में/पैन ड्राइव में तैयार रखनी होगी ताकि अपलोड करते समय यह अभिलेख उसके पास उपलब्ध रहे।

9– किसी भी दुकान के लिए आवेदन चार चरणों में पूर्ण होगा। पहले चरण मे आवेदक आनलाइन आवेदन हेतु दुकान का चयन करेगा। यदि वह सहआवेदक के साथ आवेदन करता है तो सहआवेदक का विवरण भी भरना होगा। इसके बाद द्वितीय चरण मे अभिलेख तथा हैसियत प्रमाण पत्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी एवं शपथ पत्र की स्कैन कापी तथा फोटो अपलोड करनी होगी। तत्पश्यात् तृतीय चरण में उसे ई–पेमेन्ट के माध्यम से प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करनी होगी। यह कार्य करने से पूर्व उसको अपने बैंक अकाउन्ट का डिटेल भी IFSC कोड सहित भरना होगा ताकि चयनित न होने की दशा में उसकी धरोहर धनराशि वापस हो सके।

10– चतुर्थ चरण में आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्र की प्रिन्ट लेने की सुविधा होगी तथा पेमेन्ट किये जाने से पूर्ण वह अपने आवेदन मे संशोधन भी कर सकता है लेकिन यदि उसके द्वारा ई पेमेन्ट कर दिया गया है तो कोई संशोधन अनुमन्य नही होगा।

11– आवेदक को समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् एक पावती रसीद जिसमे समस्त सूचनाऐं अंकित होगी प्राप्त होगा जिसका वह प्रिन्ट ले सकता है। आवेदन की पावती रसीदधारको को ही लाटरी स्थल/पण्डाल में प्रवेश दिया जायेगा। ई–लाटरी की समस्त कार्यवाही ई–लाटरी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष सम्पन्न होगी। ई–लाटरी से सम्बन्धित किसी प्रकार की पृच्छाओं के समाधान हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी के **दूरभाष नम्बर– 5282–222626, सी0यू0जी0 मो0 नम्बर– 9454465681 एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–1 मो0न0– 954466342, क्षेत्र–2 मो0नं0– 9454466339, क्षेत्र–3, 4 मो0नं0– 9454466344** पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

12– **समय सारणी–** जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा व बियर की फुटकर दुकानों को वर्ष 2018–19 हेतु व्यवस्थित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि दिनांक 20.02.2018 की प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 28.02.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक होगी। ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण दिनांक 01.03.2018 से दिनांक 04.03.2018 तक किया जायेगा। ई–लाटरी दिनांक 05.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार हमीरपुर में सम्पन्न होगी।

13– दुकनों के मध्य सत्र में व्यवस्थापन/पुर्नव्यवस्थापन की स्थिति में वर्ष 2018–19 हेतु सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई–लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा तथा दुकान की देयताओ का निर्धारण इस प्रयोजन हेतु सुसंगत नियमावलियों में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

14– प्रथम चरण में जनपद के लिए देशी शराब थोक आपूर्ति अनुज्ञापन सी0एल0–2, विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन एफ0एल0–2 व बियर का थोक अनुज्ञापन एफ0एल0–2बी प्राप्त करने हेतु समस्त संगत अभिलेखों/लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के बैंक ड्राप्टों के साथ कार्यालय आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद में आवेदन दिनांक 15.02.2018 से दिनांक 28.02.2018 को समय 19:00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकेगा।

15– भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन– जनपद की भांग की 20 फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली 1991 के प्राविधानानुसार वर्ष 2018–19 हेतु किया जायेगा। भांग के लिए निर्धारित एम0जी0क्यू0 पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेंस फीस ली जायेगी। भांग की फुटकर दुकानो की नीलामी दिनांक 07.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार हमीरपुर में सम्पन्न होगी। विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

17.2.18

जिला आबकारी अधिकारी,
हमीरपुर।

जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

संख्या /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा जोन, आगरा।
4. अपर जिलाधिकारी, वि0/रा0 हमीरपुर।
5. उप आबकारी आयुक्त, चित्रकूटधाम प्रभार, बांदा।
6. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, हमीरपुर।
7. जिला सूचना अधिकारी, हमीरपुर।
8. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, स्वतन्त्र भारत, हिन्दुस्तान व स्थानीय समाचार पत्र रूद्राक्ष, अग्नि चरण को इस आशय से कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में सरकारी दर से न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर बिल कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हमीरपुर में प्रस्तुत करने का कष्ट करे।
9. समस्त आबकारी निरीक्षक अपराध निरोधक क्षेत्र, जनपद हमीरपुर को इस निर्देश से कि उक्त विज्ञप्ति को कलेक्ट्रेट एवं समस्त तहसील मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर उसका व्यापक प्रचार–प्रसार कर अपने क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली समस्त दुकानों का व्यवस्थापन कराया जाना सुनिश्चित करे।

जिला आबकारी अधिकारी,
हमीरपुर